राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ1 ( )स्था/आकाशि/ 1269 दिनांक 30.06.21

प्राचार्य/नोडल अधिकारी,
समस्त राजकीय महाविद्यालय

विषयः– विद्या सम्बल योजना बाबत्।
संदर्भः– विभागीय आदेश क्रमांक एफ1 ( )स्था/आकाशि/गे.फै./2021/1255 दिनांक 11.06.2021।

संदर्भित पत्र द्वारा विभाग ने विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत गेस्ट फैकल्टी को आमन्त्रित करने के क्रम में पैनल बनाकर विभागीय अनुमति प्राप्त करने हेतु दिशा निर्देश जारी किये थे। प्राचार्यो को यह स्पष्ट किया जाता हैं कि उन्हें वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.03.2021 तथा विभागीय पत्र दिनांक 11.06.2021 में दिये गये निर्देशों के अनुसार गेस्ट फैकल्टी को **अध्यापन कराने हेतु आमन्त्रित करने के लिये पैनल बनाने** के न्रिर्देश दिये गये है। विभाग द्वारा महाविद्यालयों को सहायक आचार्यों के रिक्त पद भरने की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित नहीं किया गया है।

विद्या सम्बल योजना हेतु पैनल बनाने के लिये स्थानीय स्तर पर संक्षिप्त विज्ञप्ति, प्रैस नोट एवं सार्वजनिक स्थानों पर सूचना चस्पा करनी है, तथा महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर विस्तृत दिशा निर्देश देकर आवेदन आमन्त्रित करने है। प्राप्त आवेदनों का विभागीय निर्देशों के अनुसार परीक्षण कर महाविद्यालय स्तर पर पैनल तैयार कर औचित्य स्पष्ट करते हुये विभाग को अनुमोदन हेतु भिजवाया जाना है। पैनल कम से कम 3 शिक्षकों का हो किन्तु यदि महाविद्यालय में किसी विषय विशेष के एक से अधिक पद रिक्त है तो पैनल 3 से अधिक शिक्षकों का भी बनाया जा सकता है। यदि पैनल बनाने हेतु पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो पुनः आवेदन हेतु कार्यवाही करें तथा इसकी सूचना विभाग को देवें। विभागीय वेबसाईट पर कुछ FAQs अपलोड किये जा रहें है, ताकि प्राचार्यो की शंकाओं का निवारण हो सके।

30/06/2021
(संदेश नायक) IAS
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सहायक, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
2. रक्षित पत्रावली।
3. वेबसाईट प्रभारी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

30/06/2021
(डॉ. आर.सी. मीना)
संयुक्त निदेशक (HRD)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

FAQs

विद्या सम्बल योजना के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्नों का उत्तर

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	वर्ष 2020–21 में सृजित नवीन महाविद्यालयों जिनके पदों का सृजन नहीं हुआ है।	जिन महाविद्यालयों में विषय विशेष का पद स्वीकृत नहीं है उन महाविद्यालयों को विद्या सम्बल योजनान्तर्गत गैस्ट फैकल्टी को आमन्त्रित नहीं करना है।
2.	महाविद्यालय में एक मात्र स्वीकृत पद पर कार्यरत शिक्षक के किसी अन्य महाविद्यालय में कार्यव्यवस्थार्थ कार्यरत होने की स्थिति में विद्यासम्बल योजनान्तर्गत गैस्ट फैकल्टी हेतु विज्ञापन दिया जाना है या नहीं ?	कुछ महाविद्यालयों में एक मात्र स्वीकृत पद पर कार्यरत शिक्षक के किसी अन्य महाविद्यालय में कार्यव्यवस्थार्थ कार्यरत होने की स्थिति में विद्यासम्बल योजनान्तर्गत गैस्ट फैकल्टी आमन्त्रित नहीं किया जाना।
3.	अंग्रेजी साहित्य में छात्र संख्या शून्य होने पर सामान्य अंग्रेजी हेतु गैस्ट फैकल्टी बुलानी है या नहीं ?	विषय विशेष का पद रिक्त होने की स्थिति में सामान्य अंग्रेजी के अध्यापन कार्य हेतु भी गैस्ट फैकल्टी को आमन्त्रित किया जा सकता है।
4.	जिन विषयों के 60% से कम पद रिक्त है किन्तु पदस्थापित शिक्षक अन्य महाविद्यालय में कार्यरत है तो 60% से कम पद रिक्त होने पर भी गैस्ट फैकल्टी आमन्त्रित की जा सकती है या नहीं ?	छात्रों की संख्या के आधार पर आवश्यकता का आंकलन कर आवश्यक होने पर किसी विषय विशेष में 60% से कम पद रिक्त होने पर भी गैस्ट फैकल्टी को अध्यापन कार्य हेतु आमन्त्रित किया जा सकता है।
5.	गैस्ट फैकल्टी हेतु शैक्षणिक योग्यताएं क्या होगी ।	सेवा नियमों में वर्णित शैक्षणिक योग्यताओं के अनुसार सम्बन्धित/Relevent विषय के स्नातकोत्तर उपाधिधारक को ही गैस्ट फैकल्टी हेतु आमन्त्रित किया जाना है। ABST/EAFM/Business Adm विषयों हेतु MBA विषय के उपाधिधारक को गैस्ट फैकल्टी हेतु आमन्त्रित नहीं किया जा सकता है।
6.	कुछ प्राचार्यों ने अपने महाविद्यालयों के स्वीकृत पदों पर गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कराने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति/अनुमति चाही है।	विभाग के जारी पत्र के दिनांक 11.06.2021 के द्वारा महाविद्यालयों को गैस्ट फैकल्टी हेतु पेनल बनाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति/अनुमति जारी की गयी है। विद्या संबल योजना वित्त विभाग के द्वारा जारी की गयी है, इसलिये वित्तीय स्वीकृति इसी परिपत्र में निहित है। गैस्ट फैकल्टी को देय मानदेय के भुगतान हेतु बजट आवंटित करने हेतु पृथक से आदेश जारी किया जायेगा।
7.	प्राचार्य की पदौन्नति के पश्चात् उसी महाविद्यालय में पदस्थापित होने तथा छात्र संख्या कम होने पर गैस्ट फैकल्टी को आमन्त्रित किया जाना है या नहीं	प्राचार्य को नियमानुसार 7 कालांश प्रति सप्ताह लेने है, इससे अधिक वर्कलोड होने पर रिक्त पद हेतु गैस्ट फैकल्टी को आमन्त्रित किया जा सकता है।

8.	किसी महाविद्यालय में किसी विषय विशेष के 5 या उससे अधिक पद रिक्त होने पर कितने पदों के लिये कार्यवाही की जानी हैं	छात्रों की संख्या के आधार पर आवश्यकता का आंकलन कर आवश्यक होने पर किसी विषय विशेष में 60% से कम पद रिक्त होने पर भी गैस्ट फैकल्टी को अध्यापन कार्य हेतु आमन्त्रित करने के लिए पैनल तैयार किया जा सकता है। तैयार पैनल का औचित्य स्पष्ट करते हुये आयुक्तालय को अनुमति हेतु प्रेषित किया जाना है।
9.	महाविद्यालय में 1 ही शिक्षक के कार्यरत होने की स्थिति में समिति किस प्रकार से गठित की जानी है।	गैस्ट फैकल्टी को आमन्त्रित करने हेतु नोडल महाविद्यालय को भी सशक्त किया गया है, यदि किसी महाविद्यालय में पद रिक्त होने के कारण समिति का गठन नहीं किया जा सकता तो नोडल महाविद्यालय के प्राचार्य इस हेतु सहयोग करेंगे यदि नोडल महाविद्यालय में भी शिक्षकों की कमी है तो DRAC समिति के अध्यक्ष द्वारा इस हेतु सहयोग किया जाना है।
10.	जिस महाविद्यालय में कोई शिक्षक कार्यव्यवस्थार्थ लगा हुआ है उस पद को रिक्त मानना है या नहीं ?	कार्यव्यवस्थार्थ शिक्षक के कार्यरत होने पर गैस्ट फैकल्टी को आमन्त्रित नहीं किया जाना।
11.	जिन महाविद्यालयों में सत्र 2020–21 एवं 2021–22 के लिये पद स्थानान्तरित किये गये है, उन्हें विद्यासम्बल के अन्तर्गत गैस्ट फैकल्टी आमन्त्रित करनी है या नहीं ?	जिन महाविद्यालयों में सत्र 2020–21 एवं 2021–22 के लिये पद स्थानान्तरित किये गये है, उन्हें विद्यासम्बल के अन्तर्गत अध्यापन कार्य हेतु गैस्ट फैकल्टी को आमन्त्रित करना है।
12.	सेवानिवृत शिक्षकों की अधिकतम आयु	65 वर्ष पूर्ण करने से पूर्व तक
13.	कुछ प्राचार्यों ने बजट आवंटन की मांग की है।	बजट आवंटन हेतु आदेश पृथक से जारी किये जायेगें।
14.	पुस्तकालाध्यक्ष तथा पी.टी.आई. के रिक्त पदों पर गैस्ट फैकल्टी की अनुमति	वित्त विभाग के परिपत्र में महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य करने हेतु केवल शैक्षणिक पदों पर गैस्ट फैकल्टी को आमन्त्रित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
15.	संविदा व्याख्याता के स्थान पर गैस्ट फैकल्टी को आमन्त्रित किया जाना है या नहीं	संविदा व्याख्याता के स्थान पर गैस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार नहीं करना
16	राजस्थान/जिले से बाहर के आवेदको को प्राथमिकता दी जानी हैं या नहीं।	राजस्थान/जिले के बाहर के आवेदको को प्राथमिकता देने के संबंध में वित्त विभाग के द्वारा जारी परिपत्र में कोई दिशा निर्देश नहीं है।